न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

सत्रवाद संख्या–107/2024

भीमपुर थाना कांड संख्या– 09/2024

18/04/2024

यह जमानत आवेदन काराधीन अभियुक्त **जागेश्वर मुखिया** की ओर से दाखिल किया गया है जो भीमपुर थाना कांड संख्या–09/2024 धारा 341,323,354बी,307,504 भा0द0बि0 के अंतर्गत दिनांक 21/01/2024 से कारा में है।

जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सज्जलकिशोर प्रसाद एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदक पूर्णतः निर्दोष है एवं पारिवारिक कलह, गॉव की गंदी राजनीति तथा दियादी झंझट के कारण उपरोक्त वाद में फंसाये गये है। अभियुक्त आवेदक की ओर से कोई भी नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान के न्यायालय में अथवा ना ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त आवेदक के बड़े भाई चंदेश्वर मुखिया द्वारा दाखिल शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त आवेदक एवं इनके भाईयों के बीच बॅटवारा संबंधी विवाद पूर्व से चला आ रहा है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्व संज्ञान लिया जा चुका है तथा सभी धाराऍ जमानतीय है सिर्फ धारा 308/ 354बी भा0द0बि0 को छोड़कर। प्राथमिकी में सूचिका द्वारा चाकू से हमला कराना बताया गया है, जबकि चिकित्सक द्वारा जख्म प्रतिवेदन के अनुसार सूचिका पर पाया गया जख्म कड़ी एवं भोथड़े हथियार का बताया गया है। सूचिका अभियुक्त आवेदक के अपने बड़े भाई की पत्नी है। अभियुक्त आवेदक दिनांक 20/01/2024 से कारा में है। अभियुक्त आवेदक न्यायालय का हर शर्त मानने को तैयार है। अतः जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। अभियुक्त आवेदक स्वच्छ जमानतदार देने के लिए तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

अभियुक्त आवेदक सूचिका मीना देवी के फर्द बयान के आधार पर अंकित धारा 341,323,354बी,307,504 भा0द0बि0 के अन्तर्गत भीमपुर थाना कांड सं0–09/2024 दिनांक 19/01/2024 का प्राथमिकी अभियुक्त है। फर्द बयान में अभिकथन है कि दिनांक

न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल

सत्रवाद संख्या–107/2024

भीमपुर थाना कांड संख्या– 09/2024

लगातार

18/01/2024

समय करीब दिन के 09:45 बजे वे अपने ऑगन में बैठकर आग ताप रही थी तभी पीछे से उसका देवर जागेश्वरी मुखिया आया तथा उसे जकड़ लिया और उसके साथ गंदी गंदी हरकत करते हुए छेडछाड करने लगा तथा नामजद उसे जमीन पर पटक दिया। जिसे वह निवस्त्र हो गयी। नामजद उसके शरीर का सभी कपड़ा फाड़ दिया उसके बाद उसे घसीटते हुये घर के अंदर ले जाने लगा। तब वह अपना बचाव करना चाही तब तक अभियुक्त तेज चाकू से उसके उपर हमला कर दिया। जिससे उसका सिर एवं बॉया गला कट गया और वह जख्मी एवं लहु–लहान हो गयी। जब वह चिखी चिल्लाई तो आस पडोस के लोग वहॉ जमा हो गये। उसी समय ग्रामीणों के द्वारा उसकी जान बचाई गयी। अभियुक्त उसके साथ पहले भी छेडछाड करने का प्रयास किया था और जान लेवा हमला भी किया था। तब उसे घायल देखकर उसकी बेटी रिंकु देवी उसे नरपतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर गयी जहॉ उसका ईलाज करवाई।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि सूचिका प्रार्थी अभियुक्त की भाभी है तथा दोनो पक्ष आपस में दियाद है। कांड दैनिकी के कंडिका 35 में जख्मी मीना देवी का जख्म प्रतिवेदन है जो साधारण प्रकृति का हैं। अभियुक्त के विरूद्व आरोप का गठन हो चुका है। अभियुक्त आवेदक दिनांक 21/01/2024 से कारा में है। अतएव उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त आवेदक के काराअवधि को मद्देनजर रखते हुये उन्हें जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त आवेदक की ओर से मो0 10,000/– रूपये एवं सामान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंध–पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि दोनो जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार होगे तथा अभियुक्त आवेदक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगें।

लेखापित

सत्र न्यायाधीश, सुपौल